नईदुनिया

तीन दिनों में साढ़े छह घंटे तैरकर पहुंचे होर्मुज केप, बोले- समुद्री जीवों और मूंगे की चट्टानों पर पड़ सकता है लंबे समय तक असर

युद्ध के बीच समुद्र में उतरे ब्रिटिश तैराक, जहाजों पर हमले और प्रदूषण का देखा भयावह खतरा

लंदन, एजेंसीः ईरान और अमेरिका-इजराइल के बीच जारी युद्ध के बीच ब्रिटेन के प्रसिद्ध तैराक लुईस प्यू ने होर्मुज जलडमरूमध्य में तीन दिनों तक तैराकी कर समुद्री पर्यावरण पर मंडरा रहे खतरे की ओर दुनिया का ध्यान खींचा।

56 वर्षीय प्यू ने इस दौरान करीब 15 किलोमीटर की दूरी तय की। तैराकी के दौरान उन्होंने तेल टैंकरों और अन्य व्यापारिक जहाजों पर हमले होते देखे। एक हमले के समय वह निशाना बने जहाज से करीब चार किलोमीटर दूर समुद्र में थे। प्यू संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के समुद्र संरक्षण से जुड़े विशेष प्रतिनिधि हैं। उन्होंने यह अभियान युद्ध के कारण समुद्री जीवों और पर्यावरण को हो रहे नुकसान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए किया।



उनका कहना है कि युद्ध समाप्त होने के बाद भी तेल और रासायनिक पदार्थों से होने वाला प्रदूषण समुद्र को कई दशकों तक प्रभावित कर सकता है। इससे डॉल्फिन, समुद्री कछुए और डुगोंग जैसे जीवों के साथ मूंगे की चट्टानों तथा मैंग्रोव के जंगलों को भी खतरा है।

साढ़े छह घंटे तक रहे समुद्र में

प्यू ने ओमान के मुसंदम प्रायद्वीप से तैराकी शुरू की और होर्मुज केप तक पहुंचे। सुरक्षा कारणों से उन्होंने यह दूरी एक बार में पूरी नहीं की, बल्कि तीन दिनों में अलग-अलग हिस्सों में तैराकी की। इस दौरान वह कुल साढ़े छह घंटे समुद्र में रहे। उनके अनुसार, युद्ध शुरू होने के बाद इस क्षेत्र में इतनी लंबी दूरी तक तैराकी करने वाले वह पहले व्यक्ति हैं। प्यू ने बताया कि पानी में उतरने के करीब 30 मिनट बाद उन्हें दो जोरदार धमाकों की आवाज सुनाई दी। उन्होंने लगभग चार किलोमीटर दूर एक तेल टैंकर पर हमला होते देखा। इसके बाद वहां लड़ाकू विमान भी पहुंच गए। स्थिति को देखते हुए उनकी टीम ने सुरक्षा के लिहाज से तैराकी रोक दी। दूसरे दिन बंदरगाह की ओर लौटते समय उन्होंने गैस ले जा रहे एक जहाज पर हमला होते देखा। उनके मुताबिक, जहाज से रसायन की तेज गंध आ रही थी और उसके आसपास आग की लपटें दिखाई दे रही थीं।

130 से अधिक जहाजों पर हमले का दावा

प्यू ने चेतावनी दी कि फरवरी से अब तक इस क्षेत्र में व्यापारिक जहाजों पर 130 से अधिक हमले हो चुके हैं। क्षतिग्रस्त जहाजों से तेल और रसायनों के समुद्र में फैलने का खतरा है। इससे समुद्री जीवों के साथ तटीय पारिस्थितिकी तंत्र को भी गंभीर नुकसान पहुंच सकता है। प्यू पिछले 40 वर्षों से समुद्रों और नदियों में तैराकी के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का संदेश दे रहे हैं। वह उत्तरी ध्रुव के बर्फीले पानी में लंबी दूरी तक तैरने वाले पहले व्यक्ति बने थे। उन्होंने अंटार्कटिका, लाल सागर और इंग्लिश चैनल में भी तैराकी की है। वर्ष 2023 में उन्होंने अमेरिका की हडसन नदी की 507 किलोमीटर लंबी दूरी तैरकर पूरी की थी। प्यू ने अपील की कि युद्ध रोका जाए, होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोला जाए और समुद्र में फैले प्रदूषण की सफाई की जाए। उनका कहना है कि युद्ध का नुकसान केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि प्रकृति और समुद्री जीवन को भी इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती है।

मंदिर-दरगाह विवाद के बीच दीप जलाने के फैसले पर तमिलनाडु सरकार की आपत्ति

पहाड़ी के दीपस्तंभ पर दीप प्रज्वलित करने के आदेश को चुनौती, अदालत ने आम लोगों के प्रवेश और प्रदर्शन पर लगाई है रोक



नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्लीः तमिलनाडु सरकार ने थिरुपरनकुंड्रम पहाड़ी पर स्थित दीपस्तंभ पर दीप जलाने की अनुमति देने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर की है। शीर्ष अदालत ने 20 नवंबर को अपने आदेश में 24 नवंबर को पहाड़ी पर केवल एक बार दीप जलाने की अनुमति दी थी।

राज्य के हिंदू धार्मिक एवं धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग के आयुक्त ने इसी दिन आदेश के खिलाफ याचिका दाखिल की। इसकी जानकारी रविवार को सामने आई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, दीप जलाने के लिए मंदिर प्रशासन के प्रतिनिधियों और सरकारी अधिकारियों को ही पहाड़ी पर जाने की अनुमति होगी। आम लोगों के प्रवेश पर रोक लगाई गई है। अदालत ने दीप प्रज्वलन के दौरान जुलूस निकालने, भीड़ जुटाने, नारे लगाने और प्रदर्शन करने की भी अनुमति नहीं दी है।

दीपस्तंभ पर दीप जलाने को लेकर विवाद

थिरुपरनकुंड्रम पहाड़ी पर हर वर्ष कार्तिगई दीपम उत्सव मनाया जाता है। परंपरागत रूप से पहाड़ी के निचले हिस्से में बने दीप मंडप में दीप जलाया जाता रहा है। हालांकि, हिंदू श्रद्धालुओं का एक पक्ष पहाड़ी के ऊपर स्थित दीपस्तंभ पर दीप प्रज्वलित करने की मांग कर रहा है। दीपस्तंभ के पास एक दरगाह स्थित है। दरगाह प्रबंधन समिति इस मांग का विरोध कर रही है। उसका कहना है कि पहाड़ी का संबंधित हिस्सा दरगाह की संपत्ति है। वहीं, तमिलनाडु सरकार का तर्क है कि दीप जलाने की परंपरा पहले से ही निचले हिस्से में बने दीप मंडप तक सीमित रही है। इस मामले में मद्रास हाई कोर्ट ने दीपस्तंभ पर दीप जलाने की अनुमति दी थी। इसके बाद विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। शीर्ष अदालत ने 20 नवंबर को दीप जलाने की अनुमति देते हुए इसके लिए कुछ शर्तें भी निर्धारित की थीं। अब राज्य सरकार ने इसी आदेश पर पुनर्विचार की मांग की है।

बांग्लादेश में 100 से अधिक आईईडी बम बरामद, बड़े हमले की आशंका

कॉक्स बाजार में सीमा सुरक्षा बल की कार्रवाई, म्यांमार से तस्करी कर लाए गए विस्फोटक और हथियार; दो ऑटो रिक्शा चालक हिरासत में



ढाका, एजेंसीः बांग्लादेश के कॉक्स बाजार जिले में सीमा सुरक्षा बल (बीजीबी) ने कार्रवाई करते हुए 100 से अधिक आईईडी बम, दो बंदूकें और 254 कारतूस बरामद किए हैं। इस मामले में दो ऑटो रिक्शा चालकों को हिरासत में लिया गया है।

सुरक्षा बल के अनुसार, हथियार और विस्फोटक म्यांमार से तस्करी कर बांग्लादेश लाए गए थे। आशंका है कि इनका इस्तेमाल किसी बड़ी हिंसक घटना को अंजाम देने के लिए किया जाना था। हालांकि, संभावित हमले का निशाना कौन था, इसकी जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। बीजीबी को शनिवार रात हथियारों की तस्करी की सूचना मिली थी। इसके बाद कॉक्स बाजार में जांच चौकियां बनाकर संदिग्ध वाहनों की तलाशी ली गई।

इस दौरान विस्फोटक बनाने का सामान भी मिला। सुरक्षाबलों ने दो ऑटो रिक्शा और एक मोटरसाइकिल जब्त की है। शुरुआती जांच में आशंका जताई गई है कि इन वाहनों का इस्तेमाल हथियारों और विस्फोटकों की ढुलाई के लिए किया गया था। बीजीबी के मुताबिक, एक संगठित गिरोह ने म्यांमार से हथियार और विस्फोटक खरीदकर छिपे रास्तों के जरिये बांग्लादेश पहुंचाए थे। हिरासत में लिए गए लोगों की पहचान मोहम्मद इब्राहिम और मेहदी हसन के रूप में हुई है। इब्राहिम टेकनाफ के लेंगुरबिल क्षेत्र और मेहदी हसन नतुन पल्लानपारा का निवासी है। दोनों ऑटो रिक्शा चालक हैं।

शेख हसीना की वापसी के बयान से बढ़ा तनाव

बांग्लादेश में राजनीतिक तनाव के बीच यह बरामदगी हुई है। छात्र आंदोलन के बाद पांच अगस्त 2024 को तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार गिर गई थी। इसके बाद वह भारत आ गई थीं। मोहम्मद यूनुस ने अंतरिम सरकार की जिम्मेदारी संभाली थी। उनकी सरकार ने हसीना की पार्टी अवामी लीग पर प्रतिबंध लगाया था। चुनाव के बाद तारिक रहमान प्रधानमंत्री बने और उनकी सरकार ने भी प्रतिबंध जारी रखा। शेख हसीना ने जुलाई 2026 में दिसंबर में बांग्लादेश लौटकर अदालत की कानूनी प्रक्रिया का सामना करने की इच्छा जताई थी। इस महीने उन्होंने फिर कहा कि वह हर हाल में दिसंबर में लौटेंगी। इसके बाद देश में राजनीतिक तनाव बढ़ने और कई स्थानों पर हिंसा की घटनाएं होने की जानकारी सामने आई है। हसीना ने नए पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र की मांग भी की है, जिसे बांग्लादेश सरकार ने स्वीकार नहीं किया। सरकार भारत से उनके प्रत्यर्पण की मांग कर रही है। भारत ने कहा है कि यह कानूनी मामला है और इस पर नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

अनोखी तस्करीः हैंडपंप से निकली कच्ची शराब

जमीन के नीचे टैंक में छिपाकर रखा था शराब का भंडार



नईदुनिया ब्यूरो, झांसीः उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में शराब तस्करी का अनोखा मामला सामने आया है। सकरार थाना क्षेत्र में तस्करों ने जमीन के नीचे कच्ची शराब छिपाने के लिए विशेष इंतजाम कर रखा था। शराब निकालने के लिए ऊपर हैंडपंप लगाया गया था। पहली नजर में यह सामान्य पानी का पंप दिखाई देता था, लेकिन जब पुलिसकर्मियों ने उसे चलाया तो पानी की जगह कच्ची शराब निकलने लगी। 21 नवंबर को अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने यह कार्रवाई की। टीम को घर के आंगन में जमीन के नीचे शराब छिपाकर रखने की जानकारी मिली थी। मौके पर पहुंचकर जब पुलिसकर्मियों ने हैंडपंप चलाया तो उससे शराब निकलने लगी। इसके बाद शराब को पहले टब में एकत्र किया गया और फिर बाल्टियों की मदद से डिब्बों में भरकर जब्त किया गया।

कार्रवाई के दौरान टीम ने करीब 30 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की। इसके अलावा शराब बनाने के लिए रखा लगभग एक हजार लीटर कच्चा लहन भी मिला, जिसे मौके पर ही नष्ट करा दिया गया। पुलिस के अनुसार, लहन को नष्ट करने का उद्देश्य उससे अवैध शराब तैयार कर बाजार में खपाने से रोकना था। इस मामले में ग्राम तेजपुरा घुराट निवासी 30 वर्षीय विनीता पत्नी रतन कुमार को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने उसके खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। टहरौली के क्षेत्राधिकारी रक्षपाल सिंह ने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अवैध कच्ची शराब के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने कार्रवाई कर शराब जब्त की और लहन नष्ट कराया। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

बिसलेरी के पैकेज्ड पानी का नमूना जांच में असुरक्षित, दो हानिकारक रसायन मिले

भारतीय खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण ने कंपनी के खिलाफ अभियोजन की दी मंजूरी, अपील के बाद दोबारा जांच में भी नमूना मानकों पर खरा नहीं उतरा



नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्लीः बिसलेरी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के पैकेज्ड पेयजल का एक नमूना जांच में असुरक्षित पाया गया है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने कंपनी के खिलाफ अभियोजन शुरू करने की मंजूरी दे दी है। रविवार को प्राधिकरण ने बताया कि नमूने में निर्धारित सीमा से अधिक ब्रोमेट पाया गया था। इसके बाद इसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत असुरक्षित घोषित किया गया। यह नमूना बिसलेरी इंटरनेशनल के परिसर से जांच के लिए लिया गया था। यह पैकेज्ड पेयजल की श्रेणी का नमूना था, जिसमें खनिज जल शामिल नहीं था। शुरुआती जांच के निष्कर्षों के बाद कंपनी ने फैसले के खिलाफ अपील की थी। इसके बाद नमूने को दोबारा जांच के लिए संदर्भ खाद्य प्रयोगशाला भेजा गया। प्राधिकरण के अनुसार, संदर्भ प्रयोगशाला की जांच में भी नमूना असुरक्षित पाया गया। इसमें पॉलीन्यूक्लियर एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन की मौजूदगी सामने आई। प्रयोगशाला ने इसे कानून के तहत असुरक्षित खाद्य पदार्थ से जुड़े प्रावधानों का उल्लंघन माना। इसके बाद प्राधिकरण ने कंपनी के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी दी।

क्या हैं ये रासायनिक पदार्थ

ब्रोमेट एक रासायनिक यौगिक है। पेयजल में इसकी मात्रा निर्धारित सीमा से अधिक होना स्वास्थ्य के लिए चिंता का विषय माना जाता है। पॉलीन्यूक्लियर एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन रसायनों का एक समूह है। ये कुछ औद्योगिक प्रक्रियाओं और अधूरे दहन से बन सकते हैं। इनमें शामिल कुछ यौगिकों के लंबे समय तक संपर्क में रहने से कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। इस वर्ष खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण ने खाद्य कारोबारियों और ऑनलाइन व्यापार करने वाली कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई तेज की है।

समझदारी दिखाकर डॉक्टर डिजिटल गिरफ्तारी से मुक्त

नईदुनिया ब्यूरो, बरेलीः उत्तर प्रदेश के बरेली में साइबर ठगों ने जांच एजेंसी के अधिकारी बनकर एक वरिष्ठ डॉक्टर को ठगी का शिकार बनाने की कोशिश की। आरोपितों ने डॉक्टर पर आतंकवादी संगठन से जुड़े लोगों के खाते में 2.5 करोड़ रुपये भेजने का आरोप लगाया और उन्हें गिरफ्तारी का डर दिखाया। इसके बाद उन्हें पूरी रात वीडियो कॉल पर निगरानी में रखा। सुबह बैंक जाकर आरटीजीएस प्रपत्र भरने को कहा गया, लेकिन डॉक्टर को संदेह हो गया। उन्होंने फोन बंद कर पुलिस से संपर्क किया और ठगी का प्रयास विफल कर दिया।डॉक्टर के अनुसार, शुक्रवार शाम करीब साढ़े सात बजे उनके पिता के पास एक महिला का फोन आया। उसने खुद को महिला निरीक्षक बताते हुए आतंकवाद निरोधक दस्ते का अधिकारी होने का दावा करने वाले व्यक्ति से बात कराई। फोन करने वाले ने कहा कि डॉक्टर के बैंक खाते से 2.5 करोड़ रुपये आतंकवादी संगठन से जुड़े लोगों के खाते में भेजे गए हैं। उसने डॉक्टर के नाम पर गिरफ्तारी वारंट होने की बात भी कही। इसके बाद ठगों ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी के अधिकारी से बात कराने का दावा किया। उन्होंने डॉक्टर को किसी से बातचीत नहीं करने और लगातार वीडियो कॉल पर रहने का निर्देश दिया। डॉक्टर को बताया गया कि उनके खाते से जुड़े धन की जांच की जाएगी। आरोपितों ने यह भी कहा कि उनके पास नोटों के क्रमांक हैं, जिनका मिलान डॉक्टर के पास मौजूद नकदी से किया जाएगा।

आनंद राज आंबेडकर ने महाराष्ट्र सरकार की जल नीति पर उठाए सवाल, सूखे को बताया मानव निर्मित

नईदुनिया ब्यूरो, जालनाः रिपब्लिकन सेना के प्रमुख आनंद राज आंबेडकर ने महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति और राज्य सरकार की जल संरक्षण नीति पर सवाल उठाते हुए विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जब बारिश ही नहीं हुई तो पानी रोकेंगे कैसे? तालाब भरने के लिए अजित पवार को बुलाएं। उनके इस बयान से महाराष्ट्र की राजनीति में वर्ष 2013 का पुराना विवाद फिर चर्चा में आ गया है। रिपब्लिकन सेना के 28वें स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में आनंद राज आंबेडकर ने सरकार की 'पानी रोको, पानी पुनर्भरण करो' नीति पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में बारिश नहीं हुई, वहां पानी रोकने की बात का क्या औचित्य है? उन्होंने महाराष्ट्र में सूखे को प्राकृतिक नहीं, बल्कि मानव निर्मित बताते हुए आरोप लगाया कि नेताओं की खराब योजना के कारण यह स्थिति बनी है। बयान पर विवाद बढ़ने के बाद आनंद राज आंबेडकर ने सफाई दी कि उन्होंने दिवंगत अजित पवार का नाम व्यंग्य के तौर पर लिया था। उनका इशारा वर्ष 2013 में पानी की कमी को लेकर अजित पवार के दिए बयान की ओर था। अप्रैल 2013 में महाराष्ट्र भीषण सूखे का सामना कर रहा था। उस समय तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने इंदापुर की एक जनसभा में खाली बांधों से पानी छोड़ने की मांग पर विवादित टिप्पणी की थी।

अजरबैजान में नौकरी का झांसा देकर रूस ले गए, असम का युवक लापता

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्लीः *अजरबैजान में नौकरी की तलाश में घर से निकला असम का युवक रूस पहुंचने के बाद लापता हो गया है। परिवार को आशंका है कि उसे रूसी सेना में भर्ती कर यूक्रेन के खिलाफ चल रहे युद्ध में भेज दिया गया है। यह चिंता तब बढ़ी, जब सामाजिक माध्यमों पर युवक की रूसी सेना की वर्दी पहने तस्वीर सामने आई। हालांकि, उसके सेना में शामिल होने या युद्ध के मोर्चे पर भेजे जाने की पुष्टि नहीं हुई है। लापता युवक की पहचान अब्दुल मुक्तादिर लस्कर उर्फ मुन्ना के रूप में हुई है। वह असम के कछार जिले के तुलारग्राम पार्ट-1 का निवासी है। परिवार के अनुसार, उसे अजरबैजान में नौकरी दिलाने का भरोसा दिया गया था। इसी उम्मीद में वह इस साल की शुरुआत में घर से निकला था। परिवार को मिले यात्रा दस्तावेजों के अनुसार, 14 जुलाई को मुंबई से बाकू होते हुए मॉस्को जाने का टिकट मुन्ना के नाम पर बुक था। इसके साथ ही 30 जुलाई को भारत लौटने का टिकट भी था। हालांकि, परिवार को इसकी जानकारी नहीं है कि वह उस उड़ान से भारत लौटा था या नहीं। मुन्ना की पत्नी सलमा के मुताबिक, उनकी पति से आखिरी बार 26 अगस्त को बात हुई थी। इसके बाद से कोई संपर्क नहीं हो पाया है। सोशल मीडिया पर सामने आई तस्वीर में मुन्ना कुछ अन्य विदेशी नागरिकों के साथ रूसी सेना की वर्दी में दिखाई दे रहा है। इससे परिवार को उसके युद्ध में भेजे जाने का डर सता रहा है। सलमा के तीन साल का बेटा और एक साल की बेटी है। पति के लापता होने के बाद दोनों बच्चों की जिम्मेदारी उन्हीं पर है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा से मामले में हस्तक्षेप कर पति का पता लगाने की अपील की है। परिवार ने केंद्र और असम सरकार से रूसी अधिकारियों के संपर्क में आने तथा मुन्ना की सुरक्षित भारत वापसी सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है।*

कार्रवाई *जनवरी 2025 से अगस्त 2026 के बीच 5,235 भारतीयों को हिरासत केंद्रों में रखा*

अमेरिका में 20 महीनों में 6,111 भारतीय गिरफ्तार, 2,349 डिरिपोर्ट

न्यूयॉर्क, एजेंसीः अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आव्रजन नीति के तहत की जा रही कार्रवाई का असर भारतीय नागरिकों पर भी पड़ रहा है। जनवरी 2025 से अगस्त 2026 के बीच अमेरिकी आव्रजन एवं सीमा शुल्क प्रवर्तन एजेंसी ने 6,111 भारतीयों को गिरफ्तार किया। इनमें से 5,235 लोगों को निर्वासन केंद्रों में रखा गया, जबकि 2,349 भारतीयों को देश से बाहर भेज दिया गया। अमेरिकी सामुदायिक मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, यह भारतीयों की गिरफ्तारी का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। संस्था स्टॉप एएपीआई हेट के मुताबिक, मध्यावधि चुनाव से पहले एजेंसी ने छापेमारी की कार्रवाई तेज कर दी थी। संस्था का दावा है कि एशिया-प्रशांत क्षेत्र के समुदायों में भारतीयों की गिरफ्तारी, हिरासत और निर्वासन की संख्या सबसे अधिक रही। हालांकि, कार्रवाई के नए आंकड़े अभी सामने नहीं आए हैं।

कैलिफोर्निया में 850 से अधिक भारतीयों को गिरफ्तार किया गया। यहां फ्रेस्नो, बेकर्सफील्ड, स्टॉकटन और सैन बर्नार्डिनो में सबसे अधिक कार्रवाई हुई। इसी राज्य में 60 वर्षीय भारतीय मूल की रेस्तरां संचालक बबली (बदला हुआ नाम) को भी हिरासत में लिया गया। वह 1994 से अमेरिका में रह रही हैं और उनके स्थायी निवास आवेदन को मंजूरी मिल चुकी थी। उन्हें जैविक पहचान संबंधी प्रक्रिया के लिए आव्रजन कार्यालय बुलाया गया था। परिवार का आरोप है कि उन्हें एक सप्ताह तक हिरासत में रखा गया।

वैध वीजा धारक भी कार्रवाई के दायरे में

रिपोर्ट के अनुसार, वैध वीजा पर अमेरिका पहुंचे पेशेवरों और विद्यार्थियों के खिलाफ भी कार्रवाई के मामले सामने आए हैं। यातायात नियमों के उल्लंघन और सामाजिक माध्यमों पर सरकार की आलोचना से जुड़ी पोस्ट के आधार पर भी कुछ लोगों को निर्वासित किया गया। टेक्सास में एक एच-1बी वीजा धारक की नौकरी जाने के बाद उसे नई नौकरी तलाशने के लिए निर्धारित 60 दिन की अवधि के बावजूद हिरासत में लेकर भारत भेज दिया गया। पाँच फरवरी 2025 को अमेरिका ने सैन्य विमान से 104 भारतीयों को अमृतसर भेजा था। उस दौरान कई लोगों के हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां थीं। तस्वीरें सामने आने के बाद देशभर में विवाद हुआ था और संसद में भी हंगामा हुआ था।



2025 में 16 वर्षों का सबसे बड़ा निर्वासन

भारत के विदेश मंत्रालय के अनुसार, वर्ष 2025 में अमेरिका ने 3,567 भारतीय नागरिकों को निर्वासित किया था। यह 16 वर्षों में सबसे अधिक संख्या थी। जून 2026 तक 1,076 भारतीयों को वापस भेजा जा चुका था। अमेरिकी आव्रजन एजेंसी ने जून में ही 801 भारतीयों को वापसी आदेश जारी किए थे। हालांकि, ऐसे आदेश के बाद तत्काल निर्वासन जरूरी नहीं होता। संबंधित व्यक्ति न्यायालय में अपील कर सकता है या स्वेच्छा से अमेरिका छोड़ सकता है।